भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1480
गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइनों की दोषपूर्ण पायलट पेयरिंग संबंधी चूक

1480. प्रो. सौगत राय:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/डीजीसीए को विभन्नि एयरलाइनों की ओर से दोषपूर्ण पायलट पेयरिंग संबंधी चूक के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान एयरलाइनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार/डीजीसीए के पास ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): पिछले पाँच वर्षों के दौरान डीजीसीए द्वारा दोषपूर्ण पायलट पेयरिंग संबंधी एक घटना देखी गई है। विवरण इस प्रकार हैं:

मैसर्स एअर इंडिया ने दिनांक 10.07.2024 को ईमेल के माध्यम से एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना की सूचना दी है, जिसमें बॉम्बे से रियाद, सऊदी अरब हवाईअड्डा उड़ान पर दिनांक 09.07.2024 को एआई 921 को परिचालित करने के लिए नॉन-लाइन रिलीज़ किए गए प्रशिक्षु प्रथम अधिकारी की गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन पायलट के साथ पेयरिंग की गई थी।

डीजीसीए ने दोषपूर्ण पायलट पेयरिंग के लिए मैसर्स एअर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। विवरण इस प्रकार है:

1. डीजीसीए ने दिनांक 23.08.2024 को मैसर्स एअर इंडिया के परिचालन निदेशक पर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

2. डीजीसीए ने मैसर्स एअर इंडिया के प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.08.2024 को मैसर्स एअर इंडिया के प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने का निलंबन आदेश जारी किया गया।

3. डीजीसीए ने दिनांक 23.08.2024 को उत्तरदायी प्रबंधक, मैसर्स एअर इंडिया पर नब्बे लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

डीजीसीए के पास पहले से ही वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी) की एक प्रणाली है, जिसमें मार्ग निगरानी/विनियामक ऑडिट/स्पॉट जाँच/औचक निरीक्षण/रात्रि निगरानी जाँच/गुणवत्ता

मूल्यांकन जाँच/क्रॉस क्षेत्रीय जाँच/मुख्य बेस निरीक्षण आदि शामिल हैं, ताकि लाइसेंस/रेटिंग/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की निरंतर संगठनात्मक और साथ ही व्यक्तिगत पेशेवर सक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

वार्षिक सर्विलांस कार्यक्रम जोखिम आधारित निगरानी सर्विलांस योजना है, जो आवश्यक निरीक्षणों के प्रकार, की गई प्रवर्तन कार्रवाई की संख्या और उन निरीक्षणों की आवृत्ति निर्धारित करके तैयार की जाती है।

*****